

2021/20

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

श्रीमती सुबी कुमारी पत्नि स्व. श्री शंभूसिंह  
जाति राजपूत  
निवासी सैनिक वास  
जिला सिरौही।

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेंट

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी  
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 10 वर्ष 2021

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
27.01.2020	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेंट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरौही को दिनांक 24.11.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि प्रार्थी को रिवाईज पीपीओ को एक साल से ऊपर होने पर भी प्राप्त नहीं हुआ है, दिलाना फरमायें एवं सातवें वेतन का लाभ एवं ऐरियर भुगतान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, दिलाये जाने से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। उपरोक्त सूचना कोषाधिकारी सिरौही से सम्बन्धित होने से ए.डी.एम सिरौही द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 442-443 दिनांक 04.12.2020 को प्रकरण कोषाधिकारी सिरौही को स्थानान्तरित कर दिया।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरौही को दिनांक 24.11.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि प्रार्थी को रिवाईज पीपीओ को एक साल से ऊपर होने पर भी प्राप्त नहीं हुआ है, दिलाना फरमायें एवं सातवें वेतन का लाभ एवं ऐरियर भुगतान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, दिलाये जाने से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। चूँकि कोषाधिकारी सिरौही द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 1108-09 दिनांक 09.12.2020 को अपीलांत को उक्त सूचना उपलब्ध करवा दी गई। अतः अपीलांत की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(भगवती प्रसाद)  
जिला कलक्टर, सिरौही

